# सोशल आडिट निदेशालय

**ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0**
**7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001**
**Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in**

पत्रांकः 680 / सो.आ.नि.–312 / 2014
दिनाँकः 29 मार्च, 2014

प्रेषक,

**निदेशक,**
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

**समस्त जिलाधिकारी / जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
उत्तर प्रदेश।

विषयः **ग्राम पंचायतों में सोशल आडिट प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से सम्पादित कराने हेतु सुगम बनाना एवं सोशल आडिट रिपोर्ट को भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना।**

महोदय,

कृपया जिला स्तर पर सोशल आडिट कार्यक्रम का प्रशासकीय एवं वित्तीय दायित्व जिलाधिकारी के नियंत्रणाधीन जिला विकास अधिकारी को सौंपे जाने विषयक शासनादेश संख्या 2533 / 38–1–2013–3536 / 2005 दिनांक 19–8–2013 का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त शासनादेश में यह निर्देश दिए गए हैं कि जिला / ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर जिला विकास अधिकारी के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन ही कार्य करेंगे। शासन द्वारा उक्त निर्णय सोशल आडिट प्रक्रिया को मनरेगा कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु जिम्मेदार अधिकारियों से स्वतंत्र बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।

2– शासन द्वारा यथापेक्षित उक्त भावना को ध्यान में रखते हुए इस निदेशालय के पत्र संख्या 389 / सो.आ.नि.–312 / 2013 दिनांक 29–11–2013 द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि जिला विकास अधिकारी प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय सप्ताह अपने जनपद के DSAC के साथ सभी BSACs की समीक्षा बैठक आयोजित करें। उक्त बैठक माह के प्रथम एवं तृतीय शनिवार को आयोजित की जा सकती है। इन बैठकों में DSAC एवं BSACs के कार्यों की समीक्षा की जाएगी तथा आगामी पक्ष की कार्ययोजना के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाएगा। प्रत्येक बैठक का संक्षिप्त कार्यवृत्त DSAC द्वारा लिखा जाएगा, जिसका अनुमोदन विचारोपरान्त जिला विकास अधिकारी करेंगे। यदि शनिवार को किसी ग्राम पंचायत में सोशल आडिट ग्राम सभा की तिथि निर्धारित हो तो उसे, बैठक होने के कारण, पर्याप्त समय रहते आगे की तिथि को निर्धारित किया जा सकता है।

3– उक्त के संदर्भ में इस आशय के संदर्भ प्राप्त हुए हैं कि DSAC/BSACs के वेतन आहरण हेतु उनकी उपस्थिति का सत्यापन किस प्रकार किया जाए। पूर्व व्यवस्था के अर्न्तगत उपस्थिति का सत्यापन खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया जाता था किन्तु क्रियान्वयन से सम्बन्धित अधिकारियों से सोशल आडिट को स्वतंत्र किए जाने पर उपस्थिति का सत्यापन खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया जाना उपयुक्त नहीं होगा।

4– अतः यह निर्णय लिया गया है कि DSAC/BSACs की उपस्थिति का सत्यापन जिला विकास अधिकारी द्वारा उनकी भ्रमण पंजिका एवं कार्य सत्यापन डायरी के आधार पर संतुष्ट होते हुए किया जाएगा। BSAC के मामले में DSAC के माध्यम से भ्रमण पंजिका एवं कार्य सत्यापन डायरी जिला विकास अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

कृपया तद्नुसार उपस्थिति सत्यापन के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें।

भवदीय,

(शंकर सिंह)
निदेशक।

प्रतिलिपि :

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उत्तर प्रदेश।

2– समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(शंकर सिंह)
निदेशक।